कार्यालय कलेक्टर जिला जबलपुर एवं पदेन अपर सचिव
म.प्र.शासन , राजस्व विभाग

धारा –19 की उपधारा 4 की अधिसूचना

क्रमांक 294 / भू –अर्जन /प्र.क्रं.06./अ -82 /2016-17 जबलपुर,दिनांक 02/03/2017

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम 2 में वर्णित भूमि के कॉलम 3 में उल्लेखित रकबे का नीचे बिंदु क्रं.2 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा 4 के अंतर्गत एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त 132 के.व्ही.सप्लाई (इलेक्ट्रिक रेलवे ट्रेक्सन) हेतु आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का विवरण

क) जिला :- जबलपुर

ख) तहसील :- शहपुरा

ग) ग्राम :- किसरौंद (प.ह.नं.51/57)

घ) रा.नि.मं. :- शहपुरा

ड) अर्जनाधीन क्षेत्रफल :- :- 0.16 हे.एवं इस पर आने वाली अन्य संपत्तियां

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर)
(1)	(2)	(3)
1	187/5	0.16
		कुल रकबा - 0.16

2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 132 के.व्ही.सप्लाई (इलेक्ट्रिक रेलवे ट्रेक्सन) हेतु निजी भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में।

3) चूँकि कार्य हेतु हितबद्व व्यक्ति की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है। अतः धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है , अतः किसी भी व्यक्ति का व्यस्थापन नहीं किया जा रहा है।

4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट **www.jabalpur.nic.in** एवं म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल के वेबसाईट **www.mprevenue.nic.in** पर देख सकता है।

5) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन , भू –अर्जन शाखा कलेक्टर जबलपुर या कार्यालय कार्यपालन अभियंता अति उच्च दाब निर्माण संभाग -2 , म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड रामपुर जबलपुर में किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(महेशचन्द्र चौधरी)
कलेक्टर जबलपुर एवं पदेन अपर सचिव
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

भू अर्जन अधिकारी
तहसील पाटन
जिला - जबलपुर

पृ. कमाक/294/भू–अर्जन/2016–17 जबलपुर, दिनांक, 02/03/2017

प्रतिलिपि–

1. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय म.प्र.भोपाल की ओर म.प्र.भाग–1 में प्रकाशनार्थ ।
2. संचालक सूचना एवं प्रकाशन विभाग म.प्र.भोपाल की ओर 02 स्थानीय समाचार पत्रो में प्रकाशनार्थ ।
3. कार्यपालन अभियंता अति उच्च दाब निर्माण संभाग–2 म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड रामपु जबलपुर को अधिनियम प्रारुप धारा–19 की उपधारा (4) की अधिसूचना का प्रकाशन तत्काल करावें ।
4. कलेक्टर कार्यालय में प्रकाशनार्थ म.प्र.शासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन जिला जबलपुर की ओर नोटिस बोर्ड में चस्पा कराने बावद् ।
6. तहसीलदार तहसील शहपुरा,जिला जबलपुर म.प्र.की ओर सार्वजनिक स्थलो पर चस्पा हेतु उपरांत एक प्रति तामीली पश्चात् वापिस करें ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहपुरा की ओर सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ ।
8. सचिव,ग्राम पंचायत किसरौंद की ओर प्रकाशनार्थ एवं आगामी ग्राम सभा की बैठक में प्रति सूचनार्थ रखें ।

(महेशचंद्र चौधरी)
कलेक्टर,जबलपुर एवं पदेन अंपर सचिव
म.प्र.शासन,राजस्व विभाग